

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज
परिवाद संख्या-2375/2019
सरिता.....बनाम.....जितेन्द्र वगै०

24-01-2020

पत्रावली आज पेश हुई। पुकार पर परिवादी उपस्थित है। परिवादी की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि प्रार्थिनी व अभियुक्तगण के मध्य सुलह हो गया है तथा प्रार्थिनी उक्त मुकदमे को चलाना नहीं चाहता है।

परिवादिनी अपने परिवाद को चलाना नहीं चाहता है। अतः परिवाद बल अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद, बल न देने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महाराजगंज।